सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 2 / 17 निर्णय दिनांक : 15.1.2018

1. महेन्द्र बिश्नोई पुत्र श्री शिवनारायण जाति बिश्नोई निवासी रानीबाजार, चौपड़ा कटला के पीछे, बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत
2. वन संरक्षक अधिकारी, इगानप द्वितीय चरण, बीकानेर

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 16—12—2002
आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 16.12.2002 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट की भूमि का वर्णन किये बिना आदेश पारित किया गया है के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने तहसील कोलायत नं. 1 के चक 12 डीओबीबी का मुरब्बा नम्बर 219/43 में 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि भंवरलाल पुत्र भीखदास स्वामी से खरीद की थी। भंवरलाल को उक्त भूमि शुद्व रूप से आराजीराज होने पर तथा गजट में साया होने के कारण राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि आवंटन करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाने पर भंवरलाल को उक्त भूमि विधिवत रूप से आवंटित की गई थी। श्री भंवरलाल द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम किश्तें भी जमा करवा दी गई थी। तत्पश्चात् उक्त आराजी का इंतकाल संख्या 171 दिनांक 26—02—2011 दर्ज किया जा चुका है। इसप्रकार भंवरलाल को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके थे तथा रिकार्ड व मौके पर किसी प्रकार का विवाद न होने के कारण अपीलांट द्वारा उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र खरीद की गई जिसका इंतकाल संख्या 174 दिनांक 25—11—2011 अपीलांट के नाम से दर्ज है। तभी से अपीलांट वादगत् भूमि पर काबिज है तथा मौके पर रिहायशी ढाणी बनी हुई है। उक्त भूमि 18 बीघा 10 बिस्वा में से 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि का इंतकाल वन विभाग के नाम अपीलाधीन आदेश द्वारा दर्ज कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16—11—2002 को उक्त भूमि वन विभाग को आवंटन करने के आदेश पारित किये गये है। जबकि उक्त आदेश में भूमि का कोई वर्णन नहीं है। ना ही कौनासा गांव/चक की भूमि तथा कौनसे खसरा/मुरब्बा नम्बर वन विभाग को आवंटित किये गये है उसका कोई हवाला नहीं दिया गया है। अदालत मातहत का आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट की खरीदशुदा भूमि को वनविभाग में आवंटित किया जाकर इंतकाल दर्ज किया जाना विधि विरूद्व है। मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है। वन विभाग द्वारा मौके पर कब्जा नहीं लिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि आवंटन होने के पश्चात् आवंटित भूमि पर आवंटन नियम लागू होते है। वन विभाग का कोई कानून उक्त भूमि पर लागू नहीं किया जा सकता। आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वन विभाग के नियम लागू नहीं होगें ऐसी सूरत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी भूमि को अवाप्त किये बगैर किसी आवंटी के अधिकारों को समाप्त

नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट पर विधिवत रूप से तामील

—3—

नहीं करवाई गई ना ही विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई है। अदालत मातहत का आदेश एक साईक्लो स्टाईल आदेश है। जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1999 पेज 97, आरएलआर 1993 पार्ट I पेज 697 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—12—2002 के विरूद्व अपील दिनांक 16—12—16 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ—3(54) राज/उप/87 दिनांक 28—07—1990 एवं 04—01—1995 के अनुसरण में पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 16—12—2002 जिसके द्वारा अपीलांट के धारण की भूमि को वन विभाग के नाम आवंटित की गई है के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

—4—

(2) अपीलांट का कथन है कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत नं. 1

के चक 12 डीओबीबी का मुरब्बा नम्बर 219/43 में 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि भंवरलाल पुत्र भीखदास स्वामी से खरीद की थी। भंवरलाल को उक्त भूमि शुद्व रूप से आराजीराज होने पर तथा गजट में साया होने के कारण राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि आवंटन करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये

जाने पर भंवरलाल को उक्त भूमि विधिवत रूप से आवंटित की गई थी। श्री भंवरलाल द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम किश्तें भी जमा करवा दी गई थी। तत्पश्चात् उक्त आराजी का इंतकाल संख्या 171 दिनांक 26-02-2011 दर्ज किया जा चुका है। इसप्रकार भंवरलाल को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके थे तथा रिकार्ड व मौके पर किसी प्रकार का विवाद न होने के कारण अपीलांट द्वारा उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र खरीद की गई जिसका इंतकाल संख्या 174 दिनांक 25-11-2011 अपीलांट के नाम से दर्ज है। तभी से अपीलांट वादगत् भूमि पर काबिज है तथा मौके पर रिहायशी ढाणी बनी हुई है। उक्त भूमि 18 बीघा 10 बिस्वा में से 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि का इंतकाल वन विभाग

के नाम अपीलाधीन आदेश द्वारा दर्ज कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16-11-2002 को उक्त भूमि वन विभाग को आवंटन करने के आदेश पारित किये गये है। जबकि उक्त आदेश में भूमि का कोई वर्णन नहीं है। ना ही कौनासा गांव/चक की भूमि तथा कौनसे खसरा/मुरब्बा नम्बर वन विभाग को आवंटित किये गये है उसका कोई हवाला नहीं दिया गया है।

(3) हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली का अवलोकन किया। आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ-5(ब)()/10/उपनि/2002/बी क्रमांक 10775 दिनांक 16-12-2002 के माध्यम से वादगत् भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-3(54) राज/उप/87 दिनांक 28-07-1990 एवं 04-01-1995 के अनुसरण में किया गया है। ऐसी

स्थिति में चूंकि अपीलाधीन आदेश आयुक्त उपनिवेशन द्वारा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत जारी किया गया है। जिसकी सुनवाई का श्रेत्राधिकार अन्तर्गत धारा 23 उपनिवेशन के तहत इस

-5-

न्यायालय को हासिल नहीं है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा

कथन किया गया है कि उक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–05–1993 रूपाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार के अध्ययधीन है। स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त निर्णय में ऐसे आवंटनों को शामिल किया गया है जिनमें शिड्यूल 'ए' में आवंटियों द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई जा चुकी थी व शिड्यूल 'बी' में ऐसे आवंटि जिनके द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई थी। चूंकि प्रकरण में अपीलांट द्वारा उक्त भूमि मूल आवंटी से खरीदशुदा भूमि थी तथा मूल आवंटी द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटी के पक्ष में व तत्पश्चात् अपीलांट जोकि वादगत् भूमि का खरीददार है के नाम नियमानुसार इंतकाल भी दर्ज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय का उक्त आदेश मामलें पर चस्पा नहीं होता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील सक्षम न्यायालयमें चाराजोई हेतु लौटाई जाती है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर